अपील सूचना अधिकार संख्या 73/2020 (RCMS 2020/00125) राजन सतीजा दैनिक राष्ट्रीय छवि, सरकारी अस्पताल के सामने, श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 94143–18243) बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

28.09.2020

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राजन सतीजा गत समस्त पेशियों पर उपस्थित हुआ, किन्तु आज उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 22.06.2020 प्रस्तुत करके दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने यह अपील प्रस्तुत करके जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राजन सतीजा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.06.2020 के द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. 1 मार्च 2020 से लेकर आज तक श्रीगंगानगर जिले में कितना केरोसीन आया और उसका वितरण कहां–कहां, किस किस डिपो होल्डर को कितना–कितना दिया गया, उसकी सूची दी जाये।
2. श्रीगंगानगर जिलें में कितनी अस्थायी पी.ओ.एस. मशीनें चल रही है औ कितने समय से चल रही है, जितनी पी.ओ.एस. मशीनें है, उनके डिपों होल्डर कौन कौन वार्ड से है कि सूची दी जाये।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 17.08.2020 के साथ अपीलार्थी राजन सतीजा को लिखे गए पत्र 8106 दिनांक 13.07.2020 की प्रति प्रेषित की है, जिसके अनुसार जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर भिजवाया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा दिनांक 22.06.2020 को प्रस्तुत प्रा.प. में निम्नलिखित सूचना चाही गई है:

1. 1 मार्च, 2020 से लेकर आज तक श्रीगंगानगर जिले में कितना कैरोसीन आया और उसका वितरण कहां कहा किस किस डिपो होल्डर को कितना कैरोसीन दिया गया, उसकी सूची दी जाए।
2. श्रीगंगानगर जिले में कितनी अस्थाई पीओएस मशीनें चल रही है और कितने समय से चल रही है। जितनी अस्थाई पीओएस मशीनें है उनके डिपो होल्डर कौन–कौन है और कौन–कौन से वार्ड से है, की सूची दी जाए।

इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है। अतः आपका प्रार्थना पत्र आरटीआई की धारा 2(च) व 7(9) के तहत खारिज की जाती है।

इस सम्बन्ध में आपको कोई उज्र हो तो आप 30 दिवस की अवधि में प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर महादेय को अपील कर सकते है।

-sd-
जिला रसद अधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब उक्तानुसार प्रार्थी को दिनांक 13.07.2020 से लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है, जिसके अनुसार वांछित सूचना प्रश्नात्मक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो **निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है।** इसलिए **तहसीलदार, राजस्व, सूरतगढ द्वारा दिनांक 13.07.2020 से अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।** इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः **उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर